संख्या-39/2019/814/क.नि.प्र./26-3-2019-7(90)/2007

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त,2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश(कम्प्यूटराइजेशन) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक/1107/लेखा अनु0/2019-20 दिनांक 19-08-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-35/2019/550/क.नि.प्र./26-3-2019-7(90)/2007 दिनांक 25 जुलाई,2019 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,03-उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में पूंजी निवेश-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कृपया शासनादेश संख्या-35/2019/550/क.नि.प्र./26-3-2019-7(90)/ 2007 दिनांक 25 जुलाई,2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ.संख्या-39/2019/814(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. महालेखाकार, लेखा प्रथमआडिट प्रथम/,उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-4/ वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण,उ.प्र.शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।